



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178739

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4999/2026**

देभी खरवार

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

कपिल देव दुबे, प्रतीकधर द्विवेदी,

राहुल कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, रवि यादव

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा**

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीकधर द्विवेदी, प्रथम सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि यादव और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी मोर्य को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा 396, 376-डी, 412, 436, 120-बी, 216ए, 34, 201 के तहत दर्ज मामले में अपीलार्थी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी आकाश खरवार, नवला उर्फ लावला खरवार और रोहित खरवार को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और कुछ सह-आरोपियों, अर्थात् आकाश खरवार, मोनू हरिजन, रोहित खरवार, नवला उर्फ लावला खरवार और भीम गौतम को पुलिस पर हमले से संबंधित एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सह-आरोपी आकाश खरवार और मोनू हरिजन ने उक्त अपराध अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने वाले अपीलार्थी का नाम लिया है, हालांकि, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए सह-आरोपियों के बयान में उन्होंने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया है। जांच के दौरान, अपीलार्थी को भी गिरफ्तार किया गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी के उपरोक्त इकबालिया बयान के अलावा, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास 8 मामलों का है और सभी मामले एक ही समय में दर्ज किए गए थे। वह 8 में से 5 मामलों में जमानत पर है और दो मामलों में उसकी जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय में लंबित है। अपीलार्थी 3 सितंबर 2022 से जेल में बंद है और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना नहीं है। विद्वान विचारण अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 95 गवाहों में से केवल 6 गवाहों की ही जांच की गई है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी का नाम बरामदगी ज्ञापन में सामने आया है, जिसमें पांच सह-आरोपियों की गिरफ्तारी का जिक्र है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि सह-आरोपी आकाश खरवार और मोनू हरिजन द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किए गए बयान में अपीलार्थी का नाम नहीं है।

5. सह-आरोपी आकाश खरवार, नवला उर्फ लावला खरवार और रोहित खरवार को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आरोप है कि जब प्रथम सूचनादाता अपने मामा के साथ अपने घर में दाखिल हुआ, तो उसने अपनी बहन, माता, पिता, पत्नी और उसकी अपीलार्थी एक वर्षीय बेटी को मृत पाया। ये सभी महिलाएं बिना कपड़ों के मृत पड़ी थीं। आगे यह भी बताया गया है कि जांच के दौरान, पुलिस पर हमले से संबंधित एक अलग मामले में आकाश खरवार, मोनू हरिजन, रोहित खरवार, नवला उर्फ लावला खरवार और भीम गौतम नामक पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। सह-आरोपी आकाश खरवार और मोनू हरिजन ने उक्त अपराध करने वाले अपीलार्थी का नाम लिया था, हालांकि, धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत दर्ज सह-आरोपियों के बयान में उन्होंने अपीलार्थी का नाम नहीं लिया है। जांच के दौरान, अपीलार्थी को भी गिरफ्तार किया गया था और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। आगे यह निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी के उपरोक्त इकबालिया बयान के अलावा, अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि अपीलार्थी का आपराधिक इतिहास 8 मामलों का है और सभी मामले एक ही समय में दर्ज किए गए थे। वह 8 में से 5 मामलों में जमानत पर है और दो मामलों में उसकी जमानत याचिका विद्वान सत्र न्यायालय में लंबित है। अपीलार्थी 3 सितंबर 2022 से जेल में बंद है और निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना नहीं है, माननीय विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 95 गवाहों में से केवल 6 गवाहों की ही जांच की गई है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में दिए गए फैसले और इस न्यायालय के **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 मामले में जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **देभी खरवार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा। अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. सर्वोच्च न्यायालय के जमानत नीति रणनीति मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति प्रयागराज जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-जेल पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर अपीलार्थी को भेज दे। यह आदेश जमानत देने संबंधी स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 के संबंध में दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

24 अगस्त, 2026

आरकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।